Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ उदयपुर में पटवारी पटवार हल्का लोयरा उदयपुर आठ हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जयपुर, 08 मई, गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी इन्टेलीजेन्स यूनिट उदयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपिया श्रीमती प्रियंका नलवाया पत्नी श्री मनीष नलवाया उम्र 38 वर्ष हाल पटवारी पटवार हल्का लोयरा उदयपुर को 8,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी इन्टेलीजेन्स यूनिट उदयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि दिनांक 07.05.2025 को परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे. उदयपुर को लिखित शिकायत पेश कि लोयरा में हाथीधर मेरी पत्नी व मेरे दोस्त (रिश्तेदार की पत्नी) के नाम अलग अलग कृषि भूखण्ड क्रय किये थे। जिसकी रजिस्ट्री हुई उक्त कृषि भूखण्ड का नामान्तरण खुलवाने हेतु मैं, मेरी पत्नी व मेरे दोस्त की पत्नी के साथ अलग–अलग रजिस्ट्री की फोटो प्रति लेकर पटवार हल्का लोयरा में पटवारी श्रीमती प्रियंका जी से 15–20 दिन पूर्व उनसे मिले थे और दोनो भूखण्ड की फोटो प्रतियां उनको दी तथा नामान्तरण के लिये कहा तो उन्होनें मुझे कहा कि दोनो भूखण्ड़ो का नामान्तरण तभी खुलेगा जब आप मुझे खर्च पानी के 8,000/– रूपये दोगे। फिर कहा कि पैसे अभी सामने वाले ई–मित्र को ऑनलाईन ट्रांसफर कर दो वहा से मुझको नकद लो के दे दो तुम्हारा काम हो जायेगा तथा उन्होने परिवादी की पत्नी व उसके मित्र की पत्नी के नाम की दोनो मूल रजिस्ट्री आरोपी ने अपने पास रख ली तथा कहा की 8,000/– रूपये दोगे तभी तुम्हारी ये मूल रजिस्ट्रीयां ले जाना।

जिस पर एसीबी रेंज उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरविजन में एसीबी इन्टेलीजेन्स यूनिट उदयपुर के **पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपिया श्रीमती प्रियंका नलवाया पत्नी श्री मनीष नलवाया उम्र 38 वर्ष हाल पटवारी पटवार हल्का लोयरा उदयपुर 8,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपिया श्रीमती प्रियंका नलवाया पटवारी पटवार हल्का लोयरा उदयपुर से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 1988) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।